(i) का निवासी

(जिसे इस के आगे (दूसरा पक्ष) बाध्यताधारी कहा जाएगा:

और

(ii) का निवासी

और

(iii) का निवासी

जिन्हें आगे (ii) और (iii) को सम्मिलित (तीसरे भाग का) प्रतिभू कहा जाएगा।

बाध्यकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत है तथा बाध्यताधारी ने निम्नलिखित कारणों से अध्ययनार्थ छुट्टी के लिए आवेदन किया है।

और विश्वविद्यालय ने इस शर्त पर अध्ययनार्थ छुट्टी देना मंजूर किया है कि अध्ययन पूरा होने पर बाध्यताधारी फिर से विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगा और विश्वविद्यालय में कम से कम वर्षों तक का करेगा। बाध्यताधारी ने यह शर्त मंजूर कर ली है और प्रतिभू ने भी विश्वविद्यालय को आश्वासन दिया है कि बाध्यकारी अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाएगा

1. जैसा पहले कहा गया है बाध्यताधारी अध्ययन समाप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में फिर से कार्य करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है तथा विश्वविद्यालय में कम से कम वर्षों तक नौकरी करेगा।

2. यदि बाध्यताधारी अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाता या अध्ययनार्थ छुट्टी समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय का कार्यभार फिर से ग्रहण नहीं करता या कार्यभार ग्रहण करने के बाद सेवा करने के स्वीकृत किए गए समय के समाप्त होने से पहले किसी भी समय विश्वविद्यालय की सेवाओं से इस्तीफा देता है, उपर्युक्त समय के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा बरखास्त कि जाने या हटाए जाने पर बाध्याताधारी और प्रतिबाध्यताधारी द्वारा अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान विश्वविद्यालय से पेशगी प्राप्त किया गया धन निर्गीत हर्जाना और धन वापसी के रूप में विश्वविद्यालय को या वह जिसे भी कहे, वापस करेंगे। यदि बाध्यताधारी अध्ययनार्थ छुट्टी से वापस आने पर 18 महीने नौकरी करता है तब बाध्यता धारी और प्रतिभू को निर्गीत हर्जाने के रूप में आधा मूल्य ही देना पड़ेगा।

3. बाध्यताधारी और प्रतिभू ऊपर लिखित धारा (2) के अनुसार उस राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देंगे।

4. बाध्यताधारी और प्रतिभू दोनों का विश्वविद्यालय को रकम अदा करने का संयुक्त दायित्व हमेशा और विश्वविद्यालय उन सबसे या अलग-अलग किसी से भी इस देय राशि को वसूल करने में सक्षम होगा।

5. ऊपर लिखित एक लगातार चलने वाली प्रतिभूति है समय बढ़ाने की स्वीकृति मिलने के कारण या अन्य स्थान कार्य या विश्वविद्यालय की त्रुटि या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुग्रह या बाध्यताधारी या किसी प्रतिभू के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई रियायत के कारण कम या रद्द नहीं की जाएगी। और विश्वविद्यालय इस देय राशि को उन सबसे या उनमें से किसी एक से वसूल करने में सक्षम होगा।

6. विश्वविद्यालय समय-समय पर अपने स्वनिर्णय द्वारा, प्रतिभू से बिना पूछे बाध्यताधारी को अध्ययनार्थ छुट्टी बढ़ा सकता है तथा प्रति हर प्रकार से अध्ययन छुट्टी के मूल तथा बढ़े हुए समय के लिए भी, इन रकमों को अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

7. यदि विश्वविद्यालय द्वारा भारत के बाहर भुगतान किया जाता है तो बाध्याताधारी और जमानतियों को अदायगी के समय चालू सरकारी विनिमय दर के अनुसार उसकी समकक्ष राशि भारतीय मुद्रा में अदा करनी होगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं

साक्षी संख्या-1 हस्ता. हस्ताक्षर

(नाम : बाध्यताधारी

संख्या-2 हस्ता.

हस्ताक्षर

(नाम

जमानती संख्या -1

साक्षी संख्या-1 हस्ता.

(नाम : हस्ताक्षर

जमानती संख्या-2

संख्या-2 हस्ता.

(नाम :

साक्षी संख्या-1 हस्ता.

(नाम :

संख्या-2 हस्ता.

(नाम :

साक्षी संख्या-1 हस्ता.

विश्वविद्यालय का अधिकारी

(नाम .

संख्या-2 हस्ता.

(नाम :

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 24th April, 1990

G.S.R. 310.—In exercise of the powers conferred on him under Section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), read with Statute 17(1) and Statute 18 in the Second Schedule of the Act ibid, the Vice-Chancellor makes the following Ordinance (Ordinance No. 2) for governing leave of all employees ot the Indira Gandhi National Open University, including Teachers and other Academic Staff.

ORDINANCE GOVERNING LEAVE OF ALL EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY INCLUDING TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. Short title and Extent of Application.—The ordinance as set out in Annexure 'A' may be called "Ordinace for regulating leave of all employees of the Indira Gandhi National Open Unievrsity, including Teachers and other Academic Staff".

These Ordiances shall be deemed to have come into force on 20th September, 1985.

2. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these Ordinances it shall be resolved by the Board of Management.

[No. AD(G)/Ord. 2(1) 89]
NARAYANAN, Registrar